भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1475

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बागवानी किसानों को सहायता देने के लिए शीत भंडारण अवसंरचना

1475. श्री कुंदुरु रघुवीरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तेलंगाना के नलगोंडा जिले में शीत भंडारण सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता से अवगत है, जहाँ प्रतिवर्ष 42,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मीठे संतरे और 11,000 एकड़ क्षेत्र में मिर्च की खेती की जाती है तथा इसमें 2.4 लाख मीट्रिक टन से अधिक उपज शीघ्र खराब होने वाली होती है;

(ख) क्या शीत भंडारण अवसंरचना के अभाव के कारण फसल कटाई के बाद किसानों को भारी नुकसान, उत्पादन को जल्द खराब होने की घटना और बाजार मूल्य में कमी हो रही है तथा यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का नलगोंडा में बागवानी किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए एमआईडीएच या अन्य योजनाओं के अंतर्गत शीत भंडारण इकाइयों को मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) क्या स्थानीय बागवानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के साथ-साथ एकीकृत कटाई के बाद अवसंरचना के लिए नलगोंडा जैसे अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले जिलों को प्राथमिकता देने हेतु कोई कदम उठाए जाएँगे?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): तेलंगाना सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, नलगोंडा में बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए 40900 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 08 शीतगृह उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, रंगारेड्डी और खम्मम जिलों, जो पूर्ववर्ती नलगोंडा जिले से सटे हैं, में क्रमशः 168014 मीट्रिक टन क्षमता वाले 44 कोल्ड स्टोरेज और 170376 मीट्रिक टन क्षमता वाले 42 कोल्ड स्टोरेज भी उपलब्ध हैं और नलगोंडा के बागवानी किसानों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके, स्थानीय

बागवानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और तेलंगाना सहित देश में पीएचएम इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। एमआईडीएच के अंतर्गत, आलू सहित शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति के बागवानी फसलों के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के विकास हेतु सहायता उपलब्ध है, जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, स्टेजिंग कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रीफर परिवहन, प्राथमिक/मोबाइल और द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयाँ, राइपनिंग चेंबर की स्थापना और एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली आदि की स्थापना शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत, व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/प्रोपराइटरी वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों के लिए सहायता उपलब्ध है और यह संबंधित राज्य बागवानी मिशन के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज और बागवानी उत्पादों हेतु स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीतगृहों और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानि को कम करना और किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय भंडारण एवं परिवहन अवसंरचना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से, इर्रेडिएशन सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्टैंड-अलोन-कोल्ड-स्टोरेज शामिल नहीं हैं।

उपर्युक्त सभी योजनाएँ व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा माँग आधारित/उद्यमी संचालित हैं, जिनके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और यह राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की शुरुआत की है। एआईएफ के अंतर्गत, शीतगृहों की स्थापना सहित फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 2.00 करोड़ रुपये तक के कोलेटरल-फ्री सावधि ऋण और लिए गए सावधि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

*****